अर्द्ध शा०पत्र सं०ओ०.....159...../सी०एम०-1-2014

अखिलेश यादव

मुख्य मंत्री
उत्तर प्रदेश

लाल बहादुर शास्त्री भवन
लखनऊ

26 JUN 2014

प्रिय प्रो. नाग,

उच्च शिक्षा के बहुमुखी विकास, विस्तार एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है एवं यह राज्य सरकार की विकास योजनाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य बिन्दु है। इस दृष्टि से मुझे आप सबसे विचार–विमर्श करने का कुलपति सम्मेलन एवं अन्य अवसरों पर मौका मिला तथा राज्य सरकार द्वारा आपके सुझावों के दृष्टिगत महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं।

2– राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमन 2010 के अनुसार उ.प्र.राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में आवश्यक संशोधन निर्गत किये गये, जिससे विश्वविद्यालयों में संकायों के रिक्त पदों को भरने में सुविधा होगी एवं उन्हें कैरियर में बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रयास करके छठें वेतन आयोग की सस्तुतियों के अनुसार देय वेतन एरियर का भुगतान सुनिश्चित किया गया। महाविद्यालयों की सम्बद्धता की प्रक्रिया को सरल करते हुए उसकी एक समयबद्ध सारिणी निर्धारित की गयी जिसे सभी स्तरों पर लागू करने से शिक्षा सत्र के आरम्भ होने से पूर्व सम्बद्धता के समस्त प्रकरण निर्णीत करने की व्यवस्था की गयी। विश्वविद्यालयों के कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक संवर्ग की समीक्षा कर उसे और प्रभावी व सुदृढ़ करने के मैंने निर्देश दिये हैं, जिसके क्रम में राज्य सरकार स्तर पर प्राथमिकता पर अग्रेतर कार्यवाही विचारधीन है।

3– आप सहमत होंगे कि आपके साथ हुए विचार–विमर्श के दौरान आपके नेतृत्व में विश्वविद्यालयों में कतिपय निर्णय लेते हुए प्रभावी कार्यवाही की जायेगी तथा निश्चित ही इन सभी बिन्दुओं पर आपके स्तर पर कार्यवाही प्रचलित होगी। इस क्रम में मैं आपका ध्यान निम्नलिखित 07 बिन्दुओं पर आकर्षित करना चाहूँगा :–

(1) शिक्षा सत्र को नियमित किये जाने तथा प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिक्षण सत्र जुलाई के द्वितीय सप्ताह से आरम्भ किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक होगा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने शैक्षिक कैलेण्डर को सुनिश्चित कर परीक्षायें निर्धारित समय पर पूरी सुचिता के साथ करा लें एवं परिणाम निर्धारित तिथि तक घोषित करने की कार्यवाही करें।

(2) शिक्षण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित हो। इसके लिए आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाये तथा शिक्षक कक्षा में उपस्थित हों और पूर्ण परिश्रम से शिक्षण कार्य करें।

Pl. circulate / website

2/7

(3) परीक्षा परिणाम समय से घोषित हो तथा समस्त छात्रों को अंकतालिका एवं डिग्री सुगमता से उपलब्ध कराया जाये। अंकतालिका एवं डिग्री के सत्यापन के लिए यदि ई–व्यवस्था संचालित हो सके तो छात्रों एवं रोजगार उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को विशेष लाभ होगा।

(4) समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा अपनी गुणवत्ता का स्तर सुनिश्चित किया जाये। इसके लिए नैक द्वारा आवश्यक मूल्यांकन शीघ्रातिशीघ्र कराया जायें।

(5) विश्वविद्यालयों में शिक्षा एवं परीक्षा कार्य, सम्बद्धता सम्बन्धी समस्त कार्य तथा आन्तरिक सामान्य एवं वित्तीय प्रशासनिक कार्यो के लिए समग्र कमप्यूटराइजेशन पर आप सबकी सामान्य सहमति थी। यह कार्य आपके नेतृत्व में वर्ष 2014–15 में सम्पन्न कराये जाने का लक्ष्य होना चाहिए।

(6) सभी विश्वविद्यालयों में रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को वरीयता प्रदान की जाये जिसके लिए शिक्षा परिषदों में सत्र के आरम्भ होने से पूर्व ही उचित निर्णय लेकर पाठ्यक्रमों का संवर्द्धन किया जाये।

(7) उच्च स्तरीय शोध कार्यो को प्रोत्साहन देते हुए शोध की गुणवत्ता व उपयोगिता सुनिश्चित की जाये।

मुझे पूरा विश्वास है कि उक्त सभी बिन्दुओं, जिन पर कुलपति सम्मेलन में विचार–विमर्श के दौरान आम सहमति थी, को आप अपने कुशल मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय की प्राथमिकताओं में सम्मिलित एवं कार्यवाही करके विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के नये आयाम को स्थापित करेंगे।

भवन्निष्ठ,

(अखिलेश यादव)

प्रो. पृथ्वीश नाग,
कुलपति (अतिरिक्त प्रभार)
राजर्षि टण्डन ओपेन विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद।